

मध्य प्रदेश शासन



मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005
के अन्तर्गत यथा-अपेक्षित
विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत विवरण

जयंत मलैया
वित्त मंत्री

वर्ष 2016-17

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ
1	प्राक्कथन	I
2	वृहद् आर्थिक रूपरेखा का विवरण; प्ररूप एफ -1	1
3	मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण; प्ररूप एफ-2	10
4	राजकोषीय नीति युक्ति विवरण; प्ररूप एफ-3	20
5	राजकोषीय स्थिति के चयनित सूचकों का विवरण; प्ररूप एफ-4	26
6	राज्य सरकार के दायित्वों के घटक तथा दायित्वों पर ब्याज लागत/ निक्षेपों की गतिशीलता का विवरण; प्ररूप एफ-5	27
7	संचित निक्षेप निधि विवरण; प्ररूप एफ-6	29
8	राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण; प्ररूप एफ-7	30
9	प्रत्याभूति विमोचन निधि पर एक विवरण; प्ररूप एफ-8	31
10	वित्तीय आस्तियों का विवरण; प्ररूप एफ-9	32
11	राजस्व जो बढ़ाया गया पर वसूल नहीं किया गया (मुख्य कर और करेतर) का विवरण; प्ररूप एफ-10	33
12	राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और राज्य से सहायता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों की संख्या तथा उनसे संबंधित वेतन के ब्यौरे का विवरण; प्ररूप एफ-11	34

प्राक्कथन

मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 और उक्त अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन नियम, 2006 क्रमशः एक जनवरी 2006 एवं तीस जनवरी 2006 से प्रभावशील है।

अधिनियम की धारा 5 सहपठित नियम 3, 4, 5, एवं 7 के अन्तर्गत, राज्य शासन द्वारा, विधान सभा के समक्ष, वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ वृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (मैक्रोइकॉनॉमिक फ्रेम वर्क स्टेटमेन्ट), मध्यम कालिक राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति युक्ति एवं प्रकटन विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उक्त विधिक अपेक्षाओं के अनुपालन में विधानसभा के समक्ष यह विवरण प्रस्तुत है।

जयंत मलैया,
वित्त मंत्री

फरवरी, 2016

प्ररूप एफ-1

(नियम 3 देखिए)

वृहद् आर्थिक रुपरेखा विवरण (मैक्रो इकॉनामिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट)

क. 1. राज्य अर्थव्यवस्था पर विस्तृत विचार-

1.1 प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की संरचना तथा इसमें होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण तालिका 1.1 में प्रदर्शित है।

तालिका 1.1

प्रदेश की अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन (स्थिर मूल्यों पर)

(प्रतिशत में)

	2004-05	2009-10	2014-15 अग्रिम अनुमान
प्राथमिक	27.66	23.86	30.30
द्वितीयक	27.15	30.11	24.55
तृतीयक	45.19	46.03	45.15

1.2 वर्ष 2004-05 से 2014-15 की अवधि में राज्य स्तर पर अर्थ व्यवस्था की संरचना में परिवर्तन हुए हैं। इस अवधि में मध्य प्रदेश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 27.66 प्रतिशत से बढ़कर 30.30 प्रतिशत हुआ है। जबकि द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 27.15 प्रतिशत से घटकर 24.55 प्रतिशत एवं तृतीयक क्षेत्र का योगदान 45.19 प्रतिशत से घटकर 45.15 प्रतिशत हो गया है। इसका मुख्य कारण कृषि एवं पशुपालन के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में हुई उल्लेखनीय वृद्धि एवं द्वितीयक क्षेत्र में, मुख्यतः विनिर्माण (मेन्यूफैक्चरिंग) क्षेत्र में अपेक्षा से कम वृद्धि होना है।

1.3 वर्ष 2013-14 की तुलना में वर्ष 2014-15 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 10.19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। विगत पाँच वर्षों (2010-11 से 2014-

15) के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 9.20 प्रतिशत रही है ।

2. सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि

- 2.1 वर्ष 2014-15 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी. एस. डी. पी.) के अग्रिम अनुमान अनुसार जी. एस. डी. पी. में स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2004-05) पर गत वर्ष की तुलना में 10.19 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।
- 2.2 मध्य प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-05 से 2014-15 की अवधि में स्थिर मूल्यों पर 7.68 प्रतिशत औसत वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2014-15 में स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) गत वर्ष की तुलना में प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 18.85 प्रतिशत, 4.45 प्रतिशत तथा 8.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2014-15 के लिये सकल राज्य घरेलू उत्पाद में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के योगदान तथा उनमें वृद्धि की स्थिति तालिका 2.1(अ) एवं 2.1(ब) में दर्शाई गई है।

तालिका 2.1 (अ)
स्थिर मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	वर्ष 2013-14 (त्वरित अनु.)	वर्ष 2014-15 (अग्रिम अनु.)	वर्ष 2014-15 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक क्षेत्र	64634.78	76817.27	18.85
कृषि (पशुपालन सहित)	60356.88	72497.26	20.11
वानिकी	3846.08	3835.51	-0.27
मछली उद्योग	431.82	484.50	12.20
द्वितीयक क्षेत्र	59598.46	62248.22	4.45
खनन तथा उत्खनन	7952.15	8226.26	3.45
विनिर्माण	23939.63	24274.54	1.40
निर्माण	22082.23	23550.47	6.65
विद्युत, गैस एवं जल पूर्ति	5624.45	6196.95	10.18
तृतीयक क्षेत्र	105862.16	114467.09	8.13
रेल्वे	3746.65	4086.41	9.07
अन्य साधनों से परिवहन एवं भंडारण	7165.61	7773.87	8.49
संचार	5951.25	6164.47	3.58
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	27051.81	29221.68	8.02
बैंकिंग एवं बीमा	15779.68	16759.69	6.21
रीयल स्टेट	15747.79	16909.05	7.37
लोक प्रशासन	10637.88	11867.50	11.56
अन्य सेवार्य	19781.49	21684.42	9.62
योग	230095.40	253532.58	10.19


तालिका 2.1 (ब)
चालू मूल्यों पर (आधार वर्ष 2004-05) सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

(राशि ₹ करोड़ में)

क्षेत्र	वर्ष 2013-14 (त्वरित अनु.)	वर्ष 2014-15 (अग्रिम अनु.)	वर्ष 2014-15 में गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक क्षेत्र	144429.45	186567.43	29.18
कृषि (पशुपालन सहित)	135218.93	176729.60	30.70
वानिकी	8256.50	8688.34	5.23
मछली उद्योग	954.02	1149.49	20.49
द्वितीयक क्षेत्र	99357.60	107129.92	7.82
खनन तथा उत्खनन	11006.22	11128.75	1.11
विनिर्माण	38121.25	39880.36	4.61
निर्माण	40528.78	44683.40	10.25
विद्युत, गैस एवं जल पूर्ति	9701.35	11437.41	17.90
तृतीयक क्षेत्र	190942.83	214308.72	12.24
रेल्वे	4657.69	5251.64	12.75
अन्य साधनों से परिवहन एवं भंडारण	14671.69	16454.72	12.15
संचार	3058.84	3275.45	7.08
व्यापार, होटल एवं रेस्टोरेंट	50087.80	55932.82	11.67
बैंकिंग एवं बीमा	18501.69	20314.45	9.80
रीयल स्टेट	36108.11	40080.25	11.00
लोक प्रशासन	21588.29	25099.58	16.26
अन्य सेवार्य	42268.72	47899.81	13.32
योग	434729.88	508006.07	16.86

2.3 2004-05 से 2014-15 की अवधि में राज्य की क्षेत्रवार अर्थव्यवस्था का विकास निम्नानुसार रहा है।

चित्र



2.4 वर्ष 2014-15 के अग्रिम अनुमान के अनुसार चालू मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹ 508006.07 करोड़ है। इसमें पिछले वर्ष के त्वरित अनुमान की तुलना में 16.86 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

3. राज्य सरकार के वित्त साधन पर विस्तृत विचार-

3.1 वर्ष 2014-15 में, ₹ 6371.50 करोड़ राजस्व आधिक्य के पुनरीक्षित अनुमानों के विरुद्ध, लेखा अनुसार राजस्व आधिक्य ₹ 6267.97 करोड़ रहा। इसी तरह राजकोषीय घाटा ₹ 13869.04 करोड़ के पुनरीक्षित अनुमान के विरुद्ध लेखा अनुसार ₹ 11651.59 करोड़ रहा। वर्ष 2015-16 में राजस्व आधिक्य, ₹ 5587.97 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में घटकर ₹ 437.27 करोड़ होना संभावित है। राजकोषीय घाटा ₹ 16745.33 करोड़ के बजट अनुमान की तुलना में पुनरीक्षित अनुमान में ₹ 21166.89 करोड़ होना संभावित है जो मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम,

2005 के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिये निर्धारित सीमा (सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत) के भीतर है।

3.2 वर्ष 2014-15 के लेखे के अनुसार कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 88640.79 करोड़ है जो पुनरीक्षित अनुमान ₹ 104621.10 करोड़ से कम है। इस कमी का मुख्य कारण इस अवधि में केन्द्रीय सहायता अनुदान अन्तर्गत कम राशि प्राप्त होना है। वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों का पुनरीक्षित अनुमान ₹ 111130.66 करोड़ है जो बजट अनुमान ₹ 114422.80 करोड़ से 2.88 प्रतिशत कम है। पुनरीक्षित अनुमान में चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि राज्य के कर, करेतर राजस्व संग्रहण एवं केन्द्र से सहायता अनुदान में कमी संभावित है।

3.3 वर्ष 2014-15 में राज्य के कर तथा करेतर राजस्व की वास्तविक प्राप्तियाँ क्रमशः ₹ 36567.31 करोड़ एवं ₹ 10375.24 करोड़ थीं जो वर्ष 2014-15 के कर राजस्व के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 39189.88 करोड़ की तुलना में कम है एवं करेतर राजस्व के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 9597.64 करोड़ की तुलना में अधिक है। यह मुख्यतः भू राजस्व, बिक्री व्यापार आदि पर कर, वाहन कर एवं माल एवं यात्रियों पर कर मदों में अनुमानित वृद्धि दर से कम वृद्धि दर प्राप्त होने के कारण रही है। वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राज्य के कर तथा करेतर राजस्व क्रमशः ₹ 40910.00 करोड़ तथा ₹9707.31 करोड़ प्राप्त होना संभावित है, जो बजट अनुमान 2015-16 से कम है।

4. संभावनाएं-

4.1 एक सक्रिय उद्योग नीति तथा कृषि हेतु प्रगतिशील योजना बनाकर कार्य करने से राज्य की अर्थव्यवस्था के निरंतर तेजी से बढ़ने तथा उच्च स्तर पर बने रहने की पूर्ण संभावना है। केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से में कमी हो सकती है।

- 4.2 प्रदेश में भौतिक अधोसंरचना को विकसित करने एवं सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए हुए निवेश के परिणाम सकल राज्य घरेलू उत्पाद में हो रही लगातार वृद्धि के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं।
- 4.3 वर्ष 2014-15 में कृषि (पशुपालन सहित) क्षेत्र में 20.11 प्रतिशत (स्थिर मूल्य पर) की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे राज्य की आर्थिक विकास दर सुदृढ़ हुई है।
- 4.4 मध्य प्रदेश को 14 वें केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अंतर्गत भारत सरकार से स्थानीय निकायों हेतु अन्तरण एवं आपदा राहत के लिये वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक कुल ₹ 23097 करोड़ का अनुदान प्राप्त होने की संभावना है। वर्ष 2016-17 में ₹ 3874.12 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।
- 4.5 वर्ष 2014-15 में राज्य के राजकोषीय घाटे का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिशत मात्र 2.29 रहने से राज्य के ऊपर सकल ऋण भार में वृद्धि सीमित रही है। वर्ष 2014-15 के लिये बजट अनुमान में राजकोषीय घाटे की सीमा को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.00 प्रतिशत के आधार पर रखा गया था तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए इस सीमा को 2.99 प्रतिशत रखा गया था।
- 4.6 केन्द्रीय एवं राज्य के करों की प्राप्तियों में अपेक्षित उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। निजी क्षेत्र में निवेश में वृद्धि उत्साहजनक नहीं है। अतः राज्य को सार्वजनिक क्षेत्र में अधोसंरचना विकास हेतु निवेश में वृद्धि करने की अति आवश्यकता है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य को अधोसंरचना में अपने निवेश को बढ़ाने के लिये अपने राजकोषीय घाटे की (उधार की) वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित पूर्ण सीमा 3.5 प्रतिशत को उपयोग में लाना आवश्यक हो गया है।
- 4.7 वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्य ने अपने म.प्र. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा राजकोषीय घाटे की उच्चतम

सीमा को जीएसडीपी के 3.00 प्रतिशत से बढ़ाकर 3.50 प्रतिशत कर दिया है, यदि राज्य निम्न शर्तों को पूरा करता है :-

- (i) पिछले वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत या उससे कम हो,
- (ii) पिछले वित्तीय वर्ष में कुल परादेय ऋण जीएसडीपी अनुपात का 25 प्रतिशत या उससे कम हो, तथा,
- (iii) पिछले वित्तीय वर्ष एवं चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का राजस्व आधिक्य हो।

4.8 विकास कार्यों पर संसाधनों की कमी का विपरीत प्रभाव न पड़े, इसके लिये राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.50 प्रतिशत किया गया है। इसके लिये केन्द्र से अनुमति मांगी गई है। तदनुसार वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत रहना संभावित है। वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.49 प्रतिशत तक रहने की संभावना है।

4.9 अपने मानव संसाधन की क्षमता में वृद्धि कर उसका बेहतर उपयोग करने के लिये राज्य को शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है। इस तरह के खर्च राजस्व व्यय में वर्गीकृत किये जाते हैं। अतः इन क्षेत्रों की प्राथमिकता वाली योजनाओं में निवेश को बढ़ाने हेतु राजस्व खर्चों में भी वृद्धि आवश्यक है। अतः राजस्व आधिक्य के संबंध में राज्य किसी निश्चित प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेगा, किन्तु यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आधिक्य की स्थिति बनी रहे। चौदहवें वित्त आयोग की भी यही अनुशंसा है।

4.10 वित्तीय वर्ष 2015-16 में राजस्व आधिक्य का लक्ष्य 1.00 प्रतिशत रखा गया था। राजस्व वृद्धि की अपेक्षा से धीमी गति एवं प्रतिकूल मानसून की वजह से किसानों को सूखा राहत में अधिक राशि वितरित करने के कारण राजस्व आधिक्य का लक्ष्य संशोधित करना आवश्यक हो गया है। अतः राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2015-16 में राजस्व आधिक्य बना रहे।

ख. चयनित राजकोषीय सूचकों में रुख-

(₹करोड़ में)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	पूर्व वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्व वर्ष (2014-15) से चालू वर्ष (2015-16) में परिवर्तन (प्रतिशत)	चालू वर्ष (2015-16) से आगामी वर्ष (2016-17) में परिवर्तन (प्रतिशत)
		2014-15	2015-16 (पु.अ.)	2016-17 (ब.अ.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व प्राप्तियां (2+3+4)	88640.79	111130.66	126095.14	25.37	13.47
2	कर राजस्व (2.1+2.2)	60674.11	80615.78	90176.36	32.87	11.86
2.1	राज्य कर	36567.31	40910.00	46500.00	11.88	13.66
2.2	केन्द्रीय करों में हिस्सा	24106.80	39705.78	43676.36	64.71	10.00
3	करेतर राजस्व	10375.24	9707.31	11481.63	-6.44	18.28
4	केन्द्र शासन से सहायक अनुदान	17591.44	20807.57	24437.15	18.28	17.44
5	पूँजीगत प्राप्तियां (6+7+8)	18172.39	21282.74	32499.34	17.12	52.70
6	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली	6793.70	349.90	7704.26	-94.85	2101.85
7	शुद्ध लोक ऋण	10148.19	17622.54	24175.08	73.65	37.18
8	लोक लेखा से शुद्ध प्राप्ति	1230.50	3310.30	620.00	169.02	-81.27
9	कुल प्राप्तियां (1+5)	106813.18	132413.40	158594.48	23.97	19.77
10	राजस्व व्यय (10.1+10.2)	82372.82	110693.39	122585.33	34.38	10.74
10.1	आयोजनेतर राजस्व व्यय	55858.26	73123.94	81344.49	30.91	11.24
10.2	आयोजना राजस्व व्यय	26514.56	37569.45	41240.84	41.69	9.77
10.3	राजस्व व्यय : - जिसमें					
10.3.1	व्याज भुगतान एवं ऋण परिशोधन खर्च	7071.25	8591.95	10233.38	21.51	19.10
10.3.2	सहायकी (सब्सिडी)	37995.77	57317.35	59202.99	50.85	3.29
10.3.3	मजदूरी तथा वेतन	21256.72	22714.17	29251.89	6.86	28.78
10.3.4	पेंशन संदाय	6836.48	8261.17	10434.12	20.84	26.30
11	पूँजीगत व्यय (11.1+11.2)	11877.68	17519.05	30746.14	47.50	75.50
11.1	आयोजनेतर पूँजीगत व्यय	56.63	71.41	130.51	26.10	82.76
11.2	आयोजना पूँजीगत व्यय	11821.05	17447.64	30615.63	47.60	75.47
12	ऋण एवं अग्रिम (12.1+12.2)	12835.58	4435.01	5381.57	-65.45	21.34
12.1	आयोजनेतर ऋण एवं अग्रिम	10940.36	2550.35	2836.35	-76.69	11.21
12.2	आयोजना ऋण एवं अग्रिम	1895.22	1884.66	2545.22	-0.56	35.05
13	कुल व्यय (10+11+12)	107086.08	132647.45	158713.04	23.87	19.65
13.1	आयोजनेतर व्यय (10.1+11.1+12.1)	66855.25	75745.70	84311.35	13.30	11.31
13.2	आयोजना व्यय (10.2+11.2+12.2)	40230.83	56901.75	74401.69	41.44	30.75
14	राजस्व आधिक्य (1-10)	6267.97	437.27	3509.81	-93.02	702.66
15	राजकोषीय घाटा (1+6-13)	11651.59	21166.89	24913.64	81.67	17.70
16	प्राथमिक घाटा (15-10.3.1)	4580.34	12574.94	14680.26	174.54	16.74

प्ररूप एफ-2

(नियम 4 देखिए)

मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण

1. चौदहवें केन्द्रीय वित्त आयोग ने राजकोषीय समेकन रोडमैप के संबंध में अपनी अवार्ड अवधि के दौरान राज्यों के लिये राजकोषीय घाटा लक्ष्यों और वार्षिक उधार सीमाओं के संबंध में निम्नलिखित अनुशंसा की है —

“राज्य का राजकोषीय घाटा सामान्यतः जी.एस.डी.पी. के तीन प्रतिशत रहेगा। राज्य को राजकोषीय घाटे में 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त सीमा प्राप्त होगी, यदि पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य का ऋण - जी.एस.डी.पी. अनुपात 25 प्रतिशत या उससे कम रहा हो। इसके अतिरिक्त राज्य को राजकोषीय घाटे में 0.25 प्रतिशत की अतिरिक्त उधार सीमा भी प्राप्त होगी, यदि पिछले वित्तीय वर्ष में उसका ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्तियों का 10 प्रतिशत या उससे कम रहा हो। अतः किसी एक साल के लिये राज्य का अधिकतम राजकोषीय घाटा जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत तक हो सकता है। उपर्युक्त दोनों प्रकार के राजकोषीय घाटे की पात्रता तभी मिलेगी जब पिछले एवं चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का कोई भी राजस्व घाटा नहीं रहा हो अर्थात् राज्य ने राजस्व आधिक्य प्राप्त किया हो।” उक्त सीमा का उपयोग करने के लिये केन्द्र से अनुमति मांगी गई है।

2. चालू वर्ष में एवं आगामी वर्षों में भी केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राजकोषीय घाटे को निर्धारित सीमा में रखा जायेगा। इसके साथ ही केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अन्तर्गत राजकोषीय एवं वित्तीय प्रबंधन (ऋण सीमा सहित) संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।

क. राजकोषीय सूचक- चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2014-15	पुनरीक्षित अनुमान 2015-16	बजट अनुमान 2016-17	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
					2017-18	2018-19	2019-20
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	1.23	0.07	0.49	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य	राजस्व आधिक्य
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	2.29	3.49	3.49	3.21	3.24	3.25
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया (देनदारियों) दायित्व	22.26	21.56	21.67	22.26	22.81	23.30
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया परादेय ऋण	18.70	18.63	19.33	20.17	20.94	21.64

- नोट:- (i) **लोक ऋण** - इसमें राज्य के आंतरिक ऋण एवं केन्द्र सरकार से लिये गये ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित हैं।
- (ii) **राज्य के कुल ऋण (कुल बकाया परादेय ऋण)** - इसमें लोक ऋण के साथ अन्य ऋण (अर्थात लोक लेखा में सम्मिलित भविष्य निधि, सब्याज जमा, कर्मचारी समूह बीमा इत्यादि) सम्मिलित हैं।
- (iii) **लोक ऋण एवं अन्य दायित्व**- इसमें राज्य के कुल ऋण के साथ बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ एवं जमा सम्मिलित हैं।
- (iv) **कुल बकाया दायित्व**- इसमें लोक ऋण, एवं अन्य दायित्वों के साथ-साथ राज्य का जोखिम अधिमान दायित्व भी सम्मिलित है।

ख. राजकोषीय सूचकों का पूर्वानुमान

(1) राजस्व प्राप्तियां :

(क) **कर राजस्व** - कर राजस्व में राज्य के स्वयं का कर राजस्व तथा केन्द्रीय करों का अंतरण सम्मिलित है। वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्रीय कर राजस्व में राज्य का हिस्सा ₹ 43676.36 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2016-17 के राज्य की स्वयं की कर राजस्व प्राप्तियों का बजट अनुमान ₹ 46500 करोड़ है। कर राजस्व का संक्षिप्त विवरण निम्न तालिका में प्रदर्शित है-

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	विवरण	2014-15				2015-16		2016-17
		बजट अनुमान	पुन. अनुमान	कुल प्राप्तियाँ	बजट अनुमान से प्राप्तियों का प्रतिशत (कमी/वृद्धि)	बजट अनुमान	पुन. अनुमान	बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर	279.73	280.00	283.95	1.51	500.00	325.00	375.00
0029	भू - राजस्व	700.00	700.10	243.10	-65.27	500.00	350.00	500.00
0030	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4000.00	4200.00	3892.77	-2.68	4700.00	4000.00	4500.00
0039	राज्य उत्पाद शुल्क	6730.00	6730.00	6695.54	-0.51	7800.00	8000.00	9000.00
0040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	19500.00	19500.00	18135.96	-7.00	21300.00	20000.00	22000.00
0041	वाहन कर	2000.00	2000.00	1823.84	-8.81	2300.00	2200.00	2500.00
0042	माल तथा यात्रियों पर कर	2900.00	2900.00	2686.39	-7.37	3200.00	3050.00	4200.00
0043	विद्युत कर तथा शुल्क	2050.00	2050.00	2010.20	-1.94	2200.00	2200.00	2500.00
	अन्य विविध प्राप्तियाँ	830.15	829.78	795.56	-4.17	947.69	785.00	925.00
	योग राज्य के स्वयं के कर राजस्व	38989.88	39189.88	36567.31	-6.21	43447.69	40910.00	46500.00
	केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा	27681.23	27288.91	24106.80	-12.91	30449.65	39705.78	43676.36
	कुल कर राजस्व	66671.11	66478.79	60674.11	-8.99	73897.34	80615.78	90176.36

(ख) **करेतर राजस्व** - वर्ष 2016-17 (बजट अनुमान) के लिये राज्य का करेतर राजस्व ₹ 11481.63 करोड़ अनुमानित है। यह राशि वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 9707.31 करोड़ से अधिक है।

(ग) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2015-16 (पुनरीक्षित अनुमान) में 36.81 प्रतिशत रहा है। वर्ष 2016-17 में यह अनुपात 36.88 प्रतिशत होने की संभावना है।

(घ) कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा - कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार 8.74 प्रतिशत है। वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्य के करेतर राजस्व का हिस्सा 9.11 प्रतिशत होने की संभावना है।

(2) पूंजीगत प्राप्तियां : वर्ष 2016-17 में पूंजीगत प्राप्तियां ₹ 32499.34 करोड़ होने की संभावना है जो वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान से 52.70 प्रतिशत अधिक है। संबंधित वर्ष में विभिन्न स्रोतों से ऋण की उपलब्धता तथा उस समय प्रचलित ब्याज दर के आधार पर नए ऋणों का समूह (Portfolio) निर्धारित किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष में ऋणों का समूह (Portfolio) निम्नानुसार रहेगा -

(क) केन्द्र से उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2016-17 के लिये ₹ 2010.71 करोड़ केन्द्र सरकार से उधार तथा अग्रिम प्राप्त होने का अनुमान है जो बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं हेतु है।

(ख) राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) को जारी विशेष प्रतिभूतियां-

राज्य सरकार के लिये वित्त व्यवस्था का यह एक महंगा स्रोत है परन्तु इस मद में राज्य में अल्प बचत योजनाओं में हुई जमा राशि के आधार पर 50 प्रतिशत ऋण अनिवार्यतः लेना पड़ता है। इस मद में वर्ष 2015-16 का

पुनरीक्षित अनुमान ₹ 1000 करोड़ है। वर्ष 2016-17 में इस मद में ₹ 1200 करोड़ प्राप्त होने का अनुमान है।

- (ग) **उधारों तथा अग्रिमों की वसूली** - 31 मार्च 2015 की स्थिति में राज्य के ₹37841.90 करोड़ के उधार तथा अग्रिम बकाया है। उधार एवं अग्रिम का एक बड़ा भाग बिजली परियोजनाओं के लिए दिये गये कर्ज का बकाया ₹ 31414.55 करोड़ है। स्थानीय निकायों को दिये गये कर्ज का ₹ 1734.44 करोड़ बकाया है।
- (घ) **बाजार ऋण एवं वित्तीय संस्थानों से उधार** - बाजार ऋण के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान ₹ 13000 करोड़ के विरुद्ध पुनरीक्षित अनुमान ₹ 17655 करोड़ है। वर्ष 2016-17 के लिये ₹ 23350 करोड़ की राशि बाजार ऋण के रूप में प्राप्त होना अनुमानित है। आगे के वर्षों में यह राशि राजकोषीय संकेतकों के आधार पर अनुमानित की गई है। नाबार्ड जैसे अन्य संस्थानों से लिये जाने वाले उधार परियोजना-आधारित हैं और समग्र उधार कार्यक्रम का ही भाग है।
- (ङ) **अन्य प्राप्तियां (शुद्ध)** - भविष्य निधि आदि & राज्य की संचित निधि से बाहर लोक लेखे से उधार पूंजीगत प्राप्तियों का एक स्रोत है। उपलब्धता के आधार पर इनका उपयोग पूंजीगत व्यय के अन्तर की पूर्ति के लिये किया जायेगा।
- (च) **बकाया दायित्व - आंतरिक ऋण तथा अन्य दायित्व** - मार्च, 2015 एवं मार्च, 2016 की स्थिति में राज्य के आंतरिक ऋण एवं बकाया दायित्वों की स्थिति निम्नानुसार है -

क्रमांक	बकाया दायित्व	मार्च, 2015 की स्थिति में	मार्च, 2016 की स्थिति में (अनुमानित)
1	लोक ऋण	82261.51	99884.05
2	राज्य के कुल ऋण	94979.16	113159.20
3	लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	108687.98	126298.97
4	कुल बकाया दायित्व (जोखिम अधिमान प्रत्याभूति को जोड़कर)	113087.98	130918.97

(3) कुल व्यय :

कुल व्यय को राजस्व तथा पूंजीगत व्ययों में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय में आयोजना व्यय तथा आयोजनेतर व्यय को सम्मिलित किया जाता है। वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान अनुसार आयोजना राजस्व व्यय ₹ 41240.84 करोड़ एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय ₹ 81344.49 करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2016-17 के पश्चात आयोजना राजस्व व्यय में 13.50 से 15 प्रतिशत तथा आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 12 से 13 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित की गई है। वर्ष 2016-17 में आयोजनेत्तर राजस्व व्यय में 11.24 प्रतिशत की दर से वृद्धि अनुमानित है।

(क) राजस्व लेखा(व्यय) - राजस्व व्यय के अंतर्गत प्रतिबद्ध व्यय मुख्यतः वेतन, पेंशन, ब्याज संदाय, सबसिडी तथा अनुदान शामिल है।

(एक) ब्याज संदाय - वर्ष 2015-16 में उधार लिये जाने वाले ऋण की औसत लागत 8.73 प्रतिशत अनुमानित है तथा इसी आधार पर देयताओं के पूर्वानुमान तैयार किये गये हैं।

(दो) अनुदान (सब्सिडी) - वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में 3.29 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

(तीन) वेतन – वर्ष 2015-16 में वर्ष 2014-15 की तुलना में वेतन शीर्ष अन्तर्गत 6.86 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2016-17 में वेतन मद के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 28.78 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

(चार) पेंशन - पेंशनरों को देय मंहगाई राहत में भी कर्मचारियों को देय मंहगाई भत्ते के अनुसार वृद्धि किये जाने के कारण से इस मद अन्तर्गत व्यय में वृद्धि जारी है। वर्ष 2015-16 में वर्ष 2014-15 की तुलना में 20.84 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2016-17 में इस मद में वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान से 26.30 प्रतिशत अधिक व्यय होना अनुमानित है। बाद के वर्षों में इस मद में 17 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित की गई है।

(ख) पूंजीगत लेखा(व्यय) -

(एक) उधार तथा अग्रिम - वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान में बजट अनुमान की तुलना में उधार तथा अग्रिम मद में 27.39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(दो) पूंजीगत परिव्यय - राज्य के पूंजीगत परिव्यय का उपयोग मुख्यतः सड़क, बिजली तथा सिंचाई जैसी अधोसंरचना विकास हेतु किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार पूंजीगत परिव्यय सकल राज्यघरेलू उत्पाद का 3.62 प्रतिशत होगा तथा वर्ष 2016-17 में 5.06 प्रतिशत संभावित है। आधारभूत क्षेत्रों में पूंजीगत निवेश की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए आगामी वर्षों में इसमें लगभग 14 प्रतिशत की वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है।

(4) सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में वृद्धि :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2004-05 से वर्ष 2014-15 के दौरान चालू मूल्यों पर औसतन 14.80 प्रतिशत की वृद्धि दर परिलक्षित हुई है। वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा सूचित जी.एस.डी.पी. के आंकड़े लिये गये हैं तथा वर्ष 2016-17 में भी उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर जी.एस.डी.पी. के आंकड़ों की गणना की गई है। उसके पश्चात इसमें 13.91 प्रतिशत की औसत वृद्धि का पूर्वानुमान किया गया है। समावेशी आर्थिक विकास की अवधारणा को पूर्ण करने हेतु जी.एस.डी.पी. में वृद्धि को और तीव्र करना आवश्यक है तथा राजकोषीय नीति का यह प्रमुख लक्ष्य है। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमाओं के अनुरूप इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजकोषीय नीति अग्रसर है।

ग. संवहनीयता का निर्धारण :

(1) सामान्य प्राप्तियों और व्ययों तथा विशेषकर राज्य की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय के मध्य संतुलन - राजकोषीय अधिनियम में विचारित राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कुल व्यय, विशिष्टतः राजस्व व्यय, की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों की दर में अधिक तेजी से वृद्धि हो।

(एक) कुल राजस्व - वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 13.28 प्रतिशत है तथा वर्ष 2016-17 में इसके 12.63 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2015-16 में स्वयं के कर राजस्व का जीएसडीपी से अनुपात 6.74 प्रतिशत है और यह वर्ष 2016-17 में 6.52 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2015-16 के लिये केन्द्रीय करों में राज्य के हिस्से का जीएसडीपी से अनुपात 6.54 प्रतिशत है और यह वर्ष 2016-17 में 6.12 प्रतिशत संभावित है। करेतर राजस्व में वृद्धि करने के लिये उपभोक्ता प्रभारों की समय-समय पर समीक्षा की जायेगी तथा उसको संवहनीय बनाया जायेगा।

(दो) ब्याज भुगतान का कुल राजस्व प्राप्तियों से अनुपात- वर्ष 2014-15 में ब्याज भुगतान तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का अनुपात 7.98 प्रतिशत था जो वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान में घट कर 7.73 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2016-17 के बजट अनुमानों में यह अनुपात 8.12 प्रतिशत रहने की संभावना है। यह संवहनीयता की दृष्टि से लक्षित 10 प्रतिशत की सीमा से कम है।

(तीन) कुल परादेय ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात- वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार कुल परादेय ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात 18.63 प्रतिशत अनुमानित है। यह अनुपात वर्ष 2016-17 में 19.33 प्रतिशत रहने की संभावना है। वर्ष 2019-20 तक यह अनुपात बढ़कर 21.64 प्रतिशत तक होना संभावित है।

- (2) आयोजनेतर राजस्व व्यय में वृद्धि का अनुमान - वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार वर्ष 2014-15 की तुलना में वेतन मद में 6.86 प्रतिशत तथा पेंशन मद में 20.84 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। वर्ष 2016-17 के लिये वेतन मद में बजट अनुमान में वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 28.78 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित है।

राज्य के द्वारा राजकोषीय घाटे को सीमित रखने तथा ऋण के समूह (Portfolio) के समुचित चयन के कारण ब्याज भुगतान पर व्यय में वृद्धि नियंत्रित रही है। वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार ब्याज मद में वर्ष 2014-15 की तुलना में 21.51 प्रतिशत तथा वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान अनुसार वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 19.10 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। आयोजनेतर राजस्व व्यय में वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2016-17 में 11.24 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 12.00 से 13.00 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित है।

- (3) उत्पादक आस्तियों के जनन के लिये बाजार के उधारों सहित पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग - राज्य के द्वारा राजस्व आधिक्य की स्थिति वर्ष 2004-05 में ही प्राप्त कर ली गई थी एवं लगातार ग्यारहवें वर्ष भी राजस्व आधिक्य की स्थिति बनाये रखी गई है। वर्ष 2004-05 से सभी पूंजीगत प्राप्तियों का उपयोग सरकार की प्राथमिकताओं के अनुसार सिंचाई, ऊर्जा, सड़क तथा पुलों आदि के निर्माण में किया जा रहा है। आधारभूत क्षेत्रों में लोक निवेश को और बढ़ाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए पूंजीगत प्राप्तियों में वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।
- (4) आगामी दस वर्षों हेतु पेंशन के दायित्व की गणना - पेंशन भुगतान में वृद्धि की प्रवृत्ति की गणना विगत 5 वर्ष के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार की गई है। तदनुसार, पेंशन उत्तरदायित्व का पूर्वानुमान निम्नानुसार है : -

आंकड़ों की प्रवृत्ति	वर्ष	₹ करोड में
लेखानुसार वास्तविक आंकड़े	2010-11	3766.52
	2011-12	4388.91
	2012-13	4946.79
	2013-14	5931.74
	2014-15	6836.48
पुनरीक्षित अनुमान	2015-16	8261.17
बजट अनुमान	2016-17	10434.12
अनुमानित आंकड़े	2017-18	12207.92
	2018-19	14283.27
	2019-20	16711.42
	2020-21	19552.36
	2021-22	22876.27
	2022-23	26765.23
	2023-24	31315.32
	2024-25	36638.92
	2025-26	42867.54

वर्ष 2016-17 में पेंशन मद में रूपये ₹ 10434.12 करोड़ का व्यय होना अनुमानित है। इस मद में वर्ष 2017-18 एवं आगामी वर्षों में 17 प्रतिशत की वृद्धि दर अनुमानित करते हुए गणना की गई है।

प्ररूप एफ-3

(देखें नियम 5)

राजकोषीय नीति युक्ति विवरण

(1) राजकोषीय नीति - विस्तृत विचार :

1. राज्य की राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य राज्य में पूंजीगत व्यय को बढ़ाना है ताकि सामाजिक विकास एवं भौतिक अधोसंरचना में निवेश किया जा सके। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता के आधार को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा तथा निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ ही समावेशी विकास की अवधारणा को सम्मिलित करते हुए सामाजिक क्षेत्रों यथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य में राजस्व व्यय को भी बढ़ाने की आवश्यकता है।

2. इन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिये राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाना एवं अनुत्पादक आयोजनेतर राजस्व व्यय को घटाना आवश्यक है। वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा बजट अनुमान से कम प्राप्त हुआ है। पूर्व वर्षों में ऋणों की अदला बदली तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध ऋण समेकन एवं सहायता सुविधा के कारण ब्याज दरों में कमी हुई है। इससे तथा ऋणों को निर्धारित सीमाओं में रखने के कारण ब्याज भुगतान में वृद्धि नियंत्रित रही है।

3. राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में 13.47 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। राज्य के स्वयं के कर राजस्व में वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान अनुसार वर्ष 2014-15 की तुलना में 11.88 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। इस मद में वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान में वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान से 13.66 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

4. आयोजनेतर राजस्व व्यय अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान में वर्ष 2014-15 की तुलना में 30.91 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2016-17 के बजट

अनुमान में वर्ष 2015-16 के पुनरीक्षित अनुमान की तुलना में 11.24 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

5. वर्ष 2015-16 के आयोजनेतर राजस्व व्यय में इस वृद्धि का मुख्य कारण राज्य शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत प्रदान की जा रही अनुदान राशि में वृद्धि के साथ-साथ राज्य कर्मचारियों/पेंशनरों को मंहगाई भत्ते एवं किसानों को सूखा राहत की राशि दिया जाना है। वर्ष 2015-16 के राजस्व आधिक्य के बजट अनुमान ₹ 5587.97 करोड़ की तुलना में वर्ष 2016-17 में राजस्व आधिक्य ₹ 3509.81 करोड़ अनुमानित है तथा राजकोषीय घाटा ₹ 24913.64 करोड़ अनुमानित है। यह राजकोषीय संकेतक मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित)-2015 के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य की सीमा में रहने की संभावना है।

(2) आगामी वर्ष के लिये राजकोषीय नीति : चूंकि वर्तमान राजकोषीय नीति के अच्छे एवं सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं अतः राज्य शासन द्वारा उक्त नीति को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु भी लागू किया जायेगा।

(i) कर नीति : राज्य सरकार राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हेतु सतत् प्रयासरत् है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु कई वैधानिक तथा प्रशासनिक उपाय किये गये हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से कर संग्रहण क्षमता बढ़ी है तथा आगामी वर्षों में इसमें और अधिक वृद्धि की अपेक्षा है।

(ii) व्यय नीति : प्रभावशीलता, उत्तरदायित्व, औचित्य तथा समयबद्धता, वे चार आधारभूत नियम हैं, जो लोक व्यय प्रबंधन का आधार हैं। इसके लिए एकीकृत वित्तीय सूचना प्रबंधन प्रणाली का विकास किया गया है, जो कि शीघ्र ही कोषालयों तथा अन्य विभागों की प्राप्ति/आहरण प्रणालियों को एक नेटवर्क के तहत ले आयेगा। केन्द्र सरकार में प्रचलित वित्तीय सलाहकार प्रणाली को भी लागू किया

गया है जिससे विभागों में व्यय प्रबंधन के आधारभूत नियमों में एकरूपता लायी जाकर, उनका पालन सुनिश्चित किया जा सके।

योजनागत राशियों के समयबद्ध एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल, 2010 से आयोजना मदों अन्तर्गत व्यय की त्रैमासिक व्यवस्था लागू की गई है। राज्य की बजट प्रस्तुतिकरण व्यवस्था में अपनायी गई कुछ अन्य प्रमुख व्यवस्थायें निम्नानुसार हैं-

(क) परिणामी बजट : - वर्ष 2006-07 से परिणामी बजट तैयार किया जाकर विधान सभा पटल पर प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में वर्ष 2016-17 का परिणामी बजट भी प्रस्तुत किया जायेगा, जिसमें परिणामों को आंकलित करने वाले मापनीय उत्पाद (Quantifiable Deliverables) के रूप में परिणामों (Outcomes) को दर्शाया जाता है।

(ख) जेण्डर बजट : - महिला प्रवर्ग द्वारा उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के प्रति सरकार की वचनबद्धता जेण्डर बजट से परिलक्षित होती है। जेण्डर बजट के अन्तर्गत महिलाओं को लाभान्वित करने वाली प्रमुख योजनाओं को सम्मिलित किया जाता है ताकि इनका उचित वर्गीकरण तथा बेहतर लक्ष्य का निर्धारण हो सके। जेण्डर बजट वर्ष 2007-08 से प्रतिवर्ष मुख्य बजट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी क्रम में वर्ष 2016-17 हेतु भी जेण्डर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है।

(ग) कृषि बजट : - वित्तीय वर्ष 2012-13 में कृषि से संबंधित मुख्य मांगों (जो किसान कल्याण एवं कृषि विकास, सिंचाई, नर्मदा घाटी, पशुपालन एवं डेयरी, ऊर्जा, मछली पालन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा सहकारिकता विभागों से संबंधित हैं) एवं अन्य विभागों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों हेतु रखे जाने वाले

बजट प्रावधानों को संकलित कर एक पृथक खंड के रूप में तैयार कर प्रस्तुत किया गया। इस अनुक्रम में वर्ष 2016-17 के लिये भी कृषि बजट तैयार किया गया है। यह राज्य के कृषि क्षेत्र के सेटलाइट एकाउण्ट को बनाने में सहायक होगा।

(घ) एन्यूटी : प्रदेश के विकास व कल्याण के कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार के बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही राशि के अतिरिक्त राज्य की अधोसंरचना विकास में जन-निजी भागीदारी अन्तर्गत एन्यूटी आधारित परियोजनाओं में निवेशित राशि की जानकारी बजट साहित्य के खण्ड-5 में संकलित कर वित्तीय वर्ष 2012-13 से तैयार की जा रही है जिसे वर्ष 2016-17 में भी प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) नगरीय एवं पंचायती राज स्थानीय संस्थाओं को राज्य शासन द्वारा अन्तरित की जा रही राशि का विवरण - राज्य की विभिन्न विकासीय एवं कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नगरीय व पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। इन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये उपर्युक्त संस्थाओं को राज्य के बजट के माध्यम से आवश्यक राशि उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2009-10 से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली राशि का पृथक विवरण खण्ड-7 में संकलित कर तैयार किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2016-17 में भी प्रस्तुत किया गया है।

(iii) ऋण एवं आकस्मिक दायित्व तथा पूंजीगत व्यय :- वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति प्राप्त की जा चुकी है तथा तत्पश्चात निरन्तर राजस्व आधिक्य की स्थिति बनी हुई है। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निवेश हेतु ऋण पर निर्भरता कम करते हुये भी पूंजीगत व्यय में वृद्धि की जा सकी है।

(3) आगामी वर्ष के लिये कार्यनीति प्राथमिकताएं :

- (i)** राजकोषीय नीति मुख्यतया राज्य सरकार के आय एवं राजस्व के संग्रहण एवं व्यय से संबंधित होती है। राज्य शासन की प्राथमिकता करों के आधार को बढ़ाना और उनके संग्रहण में और अधिक कसावट लाना है।
- (ii)** ऋण प्रक्रिया का मुख्य आधार ऋणों की लागत को कम करना रहा है।
- (iii)** व्यय के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय एवं कृषि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्राथमिकता के क्षेत्र रहेंगे।
- (iv)** राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में ऊर्जा क्षेत्र भी शामिल है। विद्युत वितरण कंपनियों के वित्तीय आधार को सुदृढ़ करना तथा उन्हें वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाना लक्षित है।
- (v)** इसी प्रकार राज्य सरकार की यह प्राथमिकता भी रहेगी कि राज्य में सड़कों का प्रभावी नेटवर्क स्थापित हो जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।
- (vi)** राज्य ने वर्ष 2015-16 को पर्यटन वर्ष घोषित किया है। राज्य शासन पर्यटन क्षेत्र में विकास एवं इसमें रोजगार को बढ़ाने के लिये प्रयासरत् रहेगा।

(4) नीति परिवर्तन के मूल आधार :

- (i)** राज्य की राजकोषीय नीति का मूल उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास तथा राज्य के समस्त नागरिकों को विकास प्रक्रिया से जोड़ने का है।

- (ii) कर की दरों को एक सीमा से अधिक बढ़ाना, राजस्व प्राप्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों में करों के आधार को और बढ़ाने का प्रयास रहेगा।
- (iii) कृषि क्षेत्र में वृद्धि की दर उच्च स्तर पर बनी रहे, इस हेतु विशेष ध्यान दिये जाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।
- (5) **नीति मूल्यांकन :** मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार वांछित सभी राजकोषीय जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण वर्ष 2014-15 के लेखा, वर्ष 2015-16 के बजट/पुनरीक्षित अनुमान, वर्ष 2016-17 के बजट अनुमान तथा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक प्राक्कलित ट्रेंड/रूझानों के आधार पर तैयार किया गया है। उल्लेखित वर्षों के लिये निर्धारित लक्ष्य प्राप्त होने की आशा है। इसके अतिरिक्त अनुमानों को समुचित रूप से स्पष्टीकरण के साथ संशोधित किया गया है जिससे वे यथार्थ पर आधारित रहें। राजकोषीय पारदर्शिता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता उपलब्ध कराई गई जानकारी तथा वक्तव्यों से प्रदर्शित है।

प्ररूप एफ-4

(नियम 7 देखिये)

सिलेक्ट राजकोषीय सूचक

अनु. क्र	मद	पूर्ववर्ती वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	आगामी वर्ष (ब.अ.)
		2014-15	2015-16	2016-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा	2.29	3.49	3.49
2	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	53.79	2.07	14.09
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	1.23	0.07	0.49
4	कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार राजस्व घाटा / आधिक्य	7.07	0.39	2.78
5	कुल दायित्व -सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) का अनुपात (प्रतिशत)	22.26	21.56	21.67
6	कुल दायित्व -कुल राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	127.58	117.81	122.66
7	कुल दायित्व -राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	309.26	320.02	332.62
8	राज्य की कर राजस्व प्राप्तियां, राजस्व व्यय की तुलना में (प्रतिशत)	44.39	36.96	37.93
9	सकल राजकोषीय घाटे के प्रतिशत के अनुसार पूंजीगत परिव्यय	212.10	103.72	145.01
10	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार ब्याज भुगतान	7.98	7.73	8.12
11	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार वेतन व्यय	23.98	20.44	23.20
12	राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के अनुसार पेंशन व्यय	7.71	7.43	8.27

प्ररूप एफ-5

(नियम 7 देखिये)

क.- राज्य सरकार के दायित्वों के घटक

(रुपये करोड़ में)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये या उठाये जाने वाले			राजकोषीय वर्ष के दौरान प्रतिसंदाय/विमोचन			वकाया राशि (31 मार्च को)		
		पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष	आगामी वर्ष
		2014-15 (लेखा)	2015-16 (पु.अ.)	2016-17 (ब.अ.)	2014-15 (लेखा)	2015-16 (पु.अ.)	2016-17 (ब.अ.)	2014-15 (लेखा)	2015-16 (पु.अ.)	2016-17 (ब.अ.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	बाजार उधार	10300.00	17655.00	23350.00	2128.87	1709.32	1549.08	43149.92	59095.60	80896.52
2	केन्द्र से ऋण	1372.22	1820.00	2010.71	836.62	895.83	895.83	13253.82	14177.99	15292.87
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1913.87	1000.00	1200.00	730.10	770.60	872.52	19259.61	19489.01	19816.49
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	1482.61	2530.71	6720.00	1224.93	2007.42	5788.20	6598.15	7121.44	8053.24
5	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	10.00	4000.00	0.00	10.00	4000.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	20484.04	26647.77	32493.61	18768.46	26659.32	33152.31	26426.48	26414.93	25756.23
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	योग #	35552.74	49663.48	69774.32	23688.98	32052.49	46257.94	108687.98	126298.97	149815.35

ख. राज्य सरकार के दायित्वों पर अधिमान औसत ब्याज दरें

(प्रतिशत)

अनु. क्र.	प्रवर्ग	राजकोषीय वर्ष के दौरान उठाये गये ^		वकाया रकम (31 मार्च को)	
		पूर्व वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)	पूर्व वर्ष (लेखा)	चालू वर्ष (पु.अ.)
		2014-15	2015-16	2014-15	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बाजार से उधार	8.61	8.25	8.26	8.29
2	केन्द्र से ऋण	परिवर्तनीय दर	परिवर्तनीय दर	9.26	9.11
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	9.50	9.50	9.75	9.75
4	वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से उधार	7.70	7.70	7.49	5.65
5	भा.रि.बैंक से अर्थोपाय/अधिविकर्षण	0.00	0.00	0.00	0.00
6	लोक लेखा	8.70	8.70	8.70	8.70
7	अन्य जमा	0.00	0.00	0.00	0.00
8	कुल औसत दर *	8.34	7.78	8.80	8.73

राज्य सरकार के दायित्वों के घटक योग में सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां रिस्क वेटेज के अनुसार वर्ष 2014-15 में रूपये 4400, वर्ष 2015-16 में रूपये 4620 एवं वर्ष 2016-17 में रूपये 4851 करोड़ सम्मिलित नहीं है।

^1- अधिमान औसत ब्याज दर जहां संबंधित अधिमान उधार ली गई रकम है। यह संविदात्मक आधार पर प्रकल्पित है और तब वार्षिक की गई है।

2- औसत ब्याज दर की गणना में परिवर्तनीय दर पर प्राप्त ऋण सम्मिलित नहीं है

* अधिमान औसत ब्याज दर, जहां अधिमान राज्य सरकार के दायित्वों के संबंधित घटकों की रकम है।

ग. विशेष अर्थोपाय अग्रिम/अर्थोपाय अग्रिम/राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये ओव्हर ड्राफ्ट का ब्यौरा

अनु.क्र.	अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्षण	पूर्व वर्ष 2014-15	चालू वर्ष 2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थोपाय अग्रिम की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
2	अधिविकर्षण की औसत रकम (रुपये करोड़ में)	0	0
3	अर्थोपाय अग्रिम के दिवसों की संख्या	0	0
4	अधिविकर्षण के दिवसों की संख्या	0	0
5	अधिविकर्षण के अवसरों की संख्या	0	0

प्ररूप एफ-6

(नियम 7 देखिये)

संचित निक्षेप निधि (सी.एस.एफ.)

(रुपये करोड़ में)

पूर्व वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ.में परादेय बकाया	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	पूर्व वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	पूर्व वर्ष के अंत में/चालू वर्ष के आरंभ में सी.एस.एफ. में परादेय बकाया	चालू वर्ष के आरंभ में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. में बढ़ोतरी	चालू वर्ष के दौरान सी.एस.एफ. से प्रत्याहरण	चालू वर्ष के अंत में/आगामी वर्ष के आरंभ में परादेय बकाया	चालू वर्ष के अंत में एस.एल.आर. उधारों का परादेय स्टॉक (प्रतिशत)
2014-15	2014-15	2014-15	2014-15	2015-16	2015-16	2015-16	2015-16	2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-	-निरंक-

प्ररूप - एफ - 7

(नियम 7 देखिये)

सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियां

प्रवर्ग (कोष्टक में प्रत्याभूतियों की संख्या)	वर्ष के दौरान प्रत्याभूत अधिकतम रकम (रुपये करोड़ में)	वर्ष के आरंभ में बकाया (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान बढ़ोतरी (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान कमी (वर्ष के दौरान किये गये अवलंब से भिन्न) (रुपये करोड़ में)	वर्ष के दौरान किया गया अवलंब (रुपये करोड़ में)		कुल परादेय प्रत्याभूतियां (रुपये करोड़ में) (31.12.2015 की स्थिति में)	प्रत्याभूति कमीशन या फीस (रुपये करोड़ में)		कुल राजस्व प्राप्तियों * के प्रतिशत के रूप में कुल परादेय प्रत्याभूतियां
					उन्मोचित	अनुन्मोचित		प्राप्त करने योग्य	प्राप्त की गई	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त	अप्राप्त		अप्राप्त	अप्राप्त	
गृह विभाग	(3)	8,07.80	2,84.10	
वित्त विभाग	(17)	9,63.29	7,31.19	
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	(14)	29,58.70	51,07.88	
ऊर्जा विभाग	(57)	1,22,40.91	50,26.97	
सहकारिता विभाग	(10)	43,37.00	29,00.01	
नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	(443)	56,09.55	11,22.00	
लोक निर्माण विभाग	(2)	4,00.00	4,00.00	
आदिम जाति कल्याण विभाग	(2)	51.00	11.66	
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	(9)	1,26,75.00	1,17,72.91	
ग्रामोद्योग विभाग	(1)	39.50	30.13	
पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संयक कल्याण विभाग	(3)	22.90	17.90	
अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	(3)	60.00	1,20.30	
वृहद योग	564	4,01,65.66					2,75,25.08			24.77%

* पुनरीक्षित अनुमान 2015-16

प्ररूप एफ-8

(नियम 7 देखिये)

प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी. आर. एफ.)

(₹ करोड़ में)

पूर्व वर्ष की समाप्ति पर परादेय इनवोक्ड प्रत्याभूतियां 2014-15	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम 2014-15	चालू वर्ष के दौरान प्रत्याभूतियों की रकम जिनका अवलंब संभाव्य है 2015-16	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. में बढ़ोतरी 2015-16	चालू वर्ष के दौरान जी.आर.एफ. से प्रत्याहरण 2015-16	चालू वर्ष की समाप्ति पर जी.आर.एफ. में परादेय रकम 2015-16
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0.00	394.58	0.00	1.00	0.00	395.58

प्ररूप एफ-9

(नियम 7 देखिये)

वित्तीय आस्तियों का विवरण

अनु.क्र.	मद	पूर्व वर्ष के आरंभ पर आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष के दौरान अर्जित आस्तियां बही मूल्य (रुपये करोड़ में)	पूर्व वर्ष की समाप्ति पर आस्तियों का संचयी योग बही मूल्य (रुपये करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	ऋण एवं अग्रिम जिसमें	32072.34	5769.56	37841.90
	स्थानीय निकायों को ऋण	1791.80	-57.36	1734.44
	विद्युत कंपनियों को ऋण	26268.48	5146.07	31414.55
	अन्य कंपनियों को ऋण	306.09	157.67	463.76
	अन्य ऋण	3705.97	523.18	4229.15
2	साम्या विनिधान (इक्विटी इन्वेस्टमेंट)	15275.10	829.45	16104.55
	अंशपूजी (शेयर)			
	बोनस शेयर			
3	भारत सरकार प्रत्याभूतियों/ कोषालयीन बिलों में विनिधान	0.25	0	0.25
4	14 दिन के इन्टरमीडिएट कोषालयीन बिलों में विनिधान	3899.14	892.17	4791.31
5	अन्य वित्तीय विनिधान	--	--	--
6	योग	51246.83	7491.18	58738.01

टिप्पणी : - केवल रुपये दो लाख के ऊपर के मूल्य की आस्तियां दर्ज की जाना हैं।

प्ररूप एफ-10

(नियम 7 देखिये)

राजस्व जो अधिरोपित किया गया किन्तु वसूल नहीं किया गया (मुख्य कर और करेतर)

(जैसा कि पूर्व वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर है)

मुख्य शीर्ष	विवरण	विवादित राशि (₹ करोड़ में)	अविवादित राशि (₹ करोड़ में)	कुल योग (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	आय तथा व्यय पर कर			
0023	होटल की प्राप्तियों पर कर	0.00	0.00	0.00
0028	आय तथा व्यय पर कर	0.00	0.24	0.24
	संपत्ति तथा पूंजीगत सेवाओं पर कर			
0029	भू-राजस्व #	4.47	26.54	31.01
0030	स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस	55.66	110.33	165.99
	वस्तुओं तथा सेवा पर कर			
0039	राज्य आबकारी	10.17	66.47	76.64
0040	विक्रय, व्यापार आदि पर कर	483.72	120.17	603.89
0041	यानों पर कर	0.00	346.55	346.55
0045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	78.02	7.22	85.24
0043	विद्युत पर कर तथा शुल्क	138.38	18.58	156.96
0853	अलौह खनिज और धातुकर्म उद्योग	15.00	47.91	62.91
0700-	मुख्य, मध्यम तथा लघु सिंचाई	0.00	153.42	153.42
0701-	मध्यम, तथा	0.00	98.73	98.73
0702	लघु सिंचाई	0.00	734.91	734.91
0406	वन तथा वन्य जीव @	4.24	9.19	13.43
	योग	789.66	1740.26	2529.92

टीप - इस विवरण के अन्तर्गत राजस्व बकाया का विवरण दिया गया है।

केवल 11 जिलों की जानकारी के आधार पर

@ वर्ष 2013-14 की समाप्ति पर

प्ररूप एफ-11

(नियम 7 देखिये)

(प्रावधिक आंकड़े)

क राज्य सरकार में नियोजन

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	7734	1.69
2	5001 से 21000	360371	78.78
3	21001 से 37000	74522	16.29
4	37001 से 53000	10318	2.26
5	53001 से 65000	3484	0.76
6	65001 से 80000	874	0.19
7	80001 से अधिक	139	0.03
	योग	457442	100

ख राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2500 तक	6	1.46
2	2501 से 4300	81	19.66
3	4301 से 6100	124	30.10
4	6101 से 9700	119	28.88
5	9701 से 13300	65	15.78
6	13301 से 19300	16	3.88
7	19301 से अधिक	1	0.24
	योग	412	100

पुराने वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	800 तक	0	0.00
2	801 से 1000	0	0.00
3	1001 से 1400	289	95.07
4	1401 से 2000	4	1.32
5	2001 से 3500	4	1.32
6	3501 से 5000	7	2.30
7	5001 से अधिक	0	0.00
	योग	304	100

छठवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	644	1.27
2	5001 से 21000	32358	63.95
3	21001 से 37000	15201	30.04
4	37001 से 53000	1550	3.06
5	53001 से 65000	413	0.82
6	65001 से 80000	433	0.86
7	80001 से अधिक	3	0.01
	योग	50602	100

ग अर्द्ध शासकीय निकायों में नियोजन

(i) नवीन वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2500 तक	20	3.45
2	2501 से 4300	182	31.43
3	4301 से 6100	155	26.77
4	6101 से 9700	146	25.22
5	9701 से 13300	65	11.23
6	13301 से 19300	11	1.90
7	19301 से अधिक	0	0.00
	योग	579	100

(ii) पुराने वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	800 तक	0	0.00
2	801 से 1000	245	52.46
3	1001 से 1400	4	0.86
4	1401 से 2000	0	0.00
5	2001 से 3500	200	42.83
6	3501 से 5000	15	3.21
7	5001 से अधिक	3	0.64
	योग	467	100

छठवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	525	7.27
2	5001 से 21000	5105	70.68
3	21001 से 37000	1380	19.11
4	37001 से 53000	161	2.23
5	53001 से 65000	29	0.40
6	65001 से 80000	18	0.25
7	80001 से अधिक	5	0.07
	योग	7223	100

घ. विश्वविद्यालयों में नियोजन

छठवें वेतनमान के आधार पर

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	2500 तक	1421	20.92
2	2501 से 4300	4107	60.47
3	4301 से 6100	584	8.60
4	6101 से 9700	331	4.87
5	9701 से 13300	170	2.50
6	13301 से 19300	153	2.25
7	19301 से अधिक	26	0.38
	योग	6792	100

ड- नगरीय स्थानीय निकायों में नियोजन

नवीन वेतनमान के आधार पर

(प्रावधिक)

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	19560	26.03
2	5001 से 21000	51177	68.11
3	21001 से 37000	3932	5.23
4	37001 से 53000	408	0.54
5	53001 से 65000	37	0.05
6	65001 से 80000	20	0.03
7	80001 से अधिक	0	0.00
	योग	75134	100

च विकास प्राधिकरणों में नियोजन

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	216	12.37
2	5001 से 21000	1276	73.08
3	21001 से 37000	223	12.77
4	37001 से 53000	31	1.78
5	53001 से 65000	0	0.00
6	65001 से 80000	0	0.00
7	80001 से अधिक	0	0.00
	योग	1746	100

छ- ग्रामीण स्थानीय निकायों में नियोजन

(प्रावधिक)

(31 मार्च 2015 की स्थिति में)

क्र	वेतन समूह (₹ में)	कर्मचारियों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4
1	5000 तक	57676	34.29
2	5001 से 21000	107145	63.71
3	21001 से 37000	2938	1.75
4	37001 से 53000	376	0.22
5	53001 से 65000	41	0.02
6	65001 से 80000	6	0.00
7	80001 से अधिक	0	0.00
	योग	168182	100